

ps upload w
Log website
2/11/20

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)(16)नियम/डीएलबी/18/4469-4930

जयपुर, दिनांक: 11/09/20

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग)(16)नियम/डीएलबी/18/4469-4930

दिनांक 07.02.2018 को एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(16)नियम/डीएलबी/18/4469-4930- 4498/

दिनांक: 11/09/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
05. समस्त प्राधिकारी/प्रशासक, संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिकायें राजस्थान।
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिकाारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें राज0।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र प्रकाशनार्थ प्रस्तुत है।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी